

FROM No. -III
फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम भोज
भेरु पिता गोपी भाम्बी वनाम देवी पिता महोदव लुहार
निवासी- कानियाँ निवासी- कानियाँ
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.से.वे. एक्ट प्रकरण संख्या- 111

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

07.05.2018

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नहीं होने से वह आये दिन जमीन की कमी वेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमावंदी संवत् 2070 से 2073 मौजा कानियाँ पटवार हल्का कानियाँ तहसील हुरडा की आराजी नं. 1598/1 रकबा 18 विस्वा 10 विस्वान्सी, 2058/1 रकबा 14 विस्वा , 1955/2 रकबा 03 विस्वा 10 विस्वान्सी, 1956/2 रकबा 03विस्वा 05 विस्वान्सी, 1957/2 रकबा 03 विसव 5 विस्वान्सी, 2054/1 12 विस्वा 10 विस्वान्सी भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

-:आदेश:-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा कानियाँ पटवार हल्का कानियाँ तहसील हुरडा की आराजी नं. 1598/1 रकबा 18 विस्वा 10 विस्वान्सी, 2058/1 रकबा 14 विस्वा , 1955/2 रकबा 03 विस्वा 10 विस्वान्सी, 1956/2 रकबा 03विस्वा 05 विस्वान्सी, 1957/2 रकबा 03 विसव 5 विस्वान्सी, 2054/1 12 विस्वा 10 विस्वान्सी भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक- गागेडा को 500/-रुपये (अक्षरे- पाँच सौ रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी वाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
एतं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा केम्प